रूप-पत्र 18

(नियम 25-क का उपनियम (1) देखिये)

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 4-ख की उपधारा (2) के अधीन मान्यता के प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र

सेवा में,

व्यापार कर अधिकारी

.....(सर्किल)

मै.....का/की पुत्र/पुत्री/पत्नी उत्तर प्रदेश राज्य में.....इस नाम से व्यापारी की ओर से व्यापार कर रहा/रही हूँ, उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा 4-ख की उपधारा(2) के अधीन मान्यता के प्रमाण-पत्र के लिये प्रार्थना-पत्र देता/देती हूँ, और उक्त प्रयोजन के लिये निम्नलिखित ब्योरा देता/देती हूँ:

1. व्यापारी के साथ प्रार्थना-पत्र देने वाले व्यक्ति की प्रास्थिति या उसका सम्बन्ध (अर्थात प्रबन्धक, साझीदार, स्वामी, संचालक सरकारी कारोबार आदि का प्रभारी अधिकारी)

2. उत्तर प्रदेश में व्यापार के मुख्य स्थान का नाम और पूरा पता

3. उत्तर प्रदेश में व्यापार के अन्य स्थान (स्थानों का नाम और पूरा पता

4. उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट और सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट के अधीन जारी किये गये रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र का ब्यौरा

5. स्वामी (स्वामियों) तथा ऐसे सभी व्यक्तियों के, जिनका कारोबार में कोई स्वत्व हो, ब्योरे पीछे दी गई तालिका में

6. ऐसे विज्ञापित माल का विवरण जिसके सम्बन्ध में मान्यता का प्रमाण-पत्र लिया जा रहा है

7. दिनांक जब विज्ञापित माल का निर्माण शुरू किया गया

8. स्तम्भ 6 में उल्लिखित विज्ञापित माल के निर्माण के लिये कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त माल या माल की श्रेणी का/के नाम

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त ब्योरा, जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, ठीक है।

दिनांक..... प्रार्थी का पूरा नाम .....

साक्षी का नाम..... हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर .. ..

पिता / पति का नाम.....

पूरा पता.....

प्रार्थी का हस्ताक्षर किसी वकील द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया जायेगा जिसे व्यापार कर अधिकारी जानता हो।

व्योरे की तालिका

क्रम संख्या	पूरा नाम	पिता/पति का नाम	आयु	व्यापार में कितना स्वत्व है
1	2	3	4	5

वर्तमान पता	स्थायी पता	हस्ताक्षर	स्तम्भ 8 में हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाले साक्षी का हस्ताक्षर और पता
6	7	8	9